



भा.कृ.अ.प.—राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर
I.C.A.R.- NATIONAL RESEARCH CENTRE ON CAMEL, BIKANER




फा.सं. एनआरसीसी/प्रशा/स्था/IV(02)/कोरोना-वाईरस/2020/

दिनांक: 30.04.2020

पृष्ठांकन

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/9/2014-Estt (A-III) दिनांक 29.04.2020 के द्वारा केन्द्र शासित प्रदेशों के मंत्रालयों / विभागों में COVID-19 के प्रसार (संचारण) श्रृंखला को तोड़ने के लिए 'आरोग्य सेतु (Aarogya setu) एप' का प्रभावी उपयोग किये जाने के लिये सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों (आउटसोर्सिंग स्टाफ सहित) की सुरक्षा में सुधार के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29.04.2020 में समेकित मार्गदर्शिका जारी की गई है। जिसकी प्रति सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित हैं।

यह पृष्ठांकन निदेशक महोदय की अनुमति प्राप्त कर जारी किया गया है।


(आर. ए. साहू)
प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :

1. केन्द्र के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को ईमेल के माध्यम से प्रेषित करते हुए सूचित किया जाता है कि वे भारत सरकार द्वारा दर्शाये अनुसार अपने मोबाइल एवं अपने अधिनिस्थ (Subordinate) कर्मचारियों के मोबाइल में 'आरोग्य सेतु (Aarogya setu) एप' आवश्यक रूप से डाउनलोड की कार्यवाही कर निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना करवाएं।
2. सभी प्रभारी अधिकारियों को ईमेल के द्वारा
3. प्रभारी सम्पदा एवं प्रभारी सुरक्षा – को प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि वे अनुबंध के आधार पर कार्यरत सभी कार्मिकों के मोबाइल में 'आरोग्य सेतु (Aarogya setu) एप' आवश्यक रूप से डाउनलोड की कार्यवाही कर निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना करवाएं।
4. वैयक्तिक सहायक निदेशक, राउअनुके, बीकानेर
5. केन्द्र के नोटिस बोर्ड – कार्यालय भवन / प्रयोगशाला भवन
6. श्री दिनेश मुजाल, स.मु.त.अ. को केन्द्र की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

IMMEDIATE

F.No. 11013/9/2014-Estt (A-III)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel & Training
(Establishment, A-III Desk)

North Block, New Delhi.

Dated: 29.04.2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Effective use of 'Aarogyasetu' App for breaking the chain of transmission of COVID-19.

With reference to the subject mentioned above, the following directions may strictly be followed to improve the safety of all Government officials:

- (i) All the officers, staff (including outsourced staff) working in Central Government should download 'Aarogyasetu' App on their mobile phones, immediately.
- (ii) Before starting for office, they must review their status on 'Aarogyasetu' and commute only when the app shows 'safe' or 'low risk' status.
- (iii) The officers/staff are advised that in case the App shows a message that he/she has a 'moderate' or 'high risk' calculated on the basis of Bluetooth proximity ("recent contact with infected person"), he/she should not come to office and self isolate for 14 days or till the status becomes 'safe' or 'low risk'.
- (iv) Joint Secretary (Administration) should ensure that above directions are strictly followed in the respective Ministry/Department.
- (v) Ministries/Departments may issue similar instructions to all autonomous/statutory bodies, PSUs etc. attached to them.
- (vi) Report on the action taken may be sent to the undersigned.

G. Jayanthi.

(G. Jayanthi)

Joint Secretary to the Government of India

To:

1. All Ministries/Departments of Government of India
2. PMO/Cabinet Secretariat
3. PS to MoS(PP)
4. Sr. Technical Director, NIC, DoPT